न्यायालय न्यायनियर्णन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी — श्री मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 77/2023

श्री लालू राम यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।
बनाम
श्री जेठू सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, मैसर्स चामुण्डा जोधपुर मिष्ठान भण्डार, नया बस स्टेण्ड झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

उपस्थितिः—
1. आवेदक की ओर से ....आवेदक स्वयं।
2. अनावेदक की ओर से ....अनावेदक स्वयं।

—निर्णय— दिनांक : **20.12..2023**

श्री लालू राम यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू ने एक प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो सक्षेंप में निम्न प्रकार है:— कि आवेदक श्री लालू राम यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू में कार्यरत है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा बतौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला झुन्झुनू का समस्त क्षेत्र आंवटित हुआ है। आवेदक द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए दिनांक 28.08.2023 को मैसर्स चामुण्डा जोधपुर मिष्ठान भण्डार, नया बस स्टेण्ड झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण दुकान पर अनावेदक श्री जेठु सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का विक्रेता होना जाहिर किया। जिस पर अनावेदक से खाद्य पदार्थ लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो अनोवदक ने खाद्य सुरक्षा लाईसेंस होना जाहिर किया।

निरीक्षण के दौरान विक्रेता के संस्थान पर प्लास्टिक के थैलियों में लगभग 30 किलोग्राम मावा आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य प्रदार्थ मावा में से सैम्पल लिया गया। सैम्पल को जांच हेतु भिजवाया जाने की प्रक्रिया पूरी कर सैम्पलो पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक व गवाहन को पढकर सुनाया तथा समझाया जाकर फर्द पर अनावेदक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पैक सैम्पल को खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ मावा के सबस्टैण्डर्ड फुड (Sub-standard Food) आने पर प्रार्थना पत्र तैयार कर सैम्पल लेते समय की गई समस्त कार्यवाही के दस्तावेज तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न कर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबी जारी की गई। जिस पर अनावेदक द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र में बहस अन्तिम सुनी गई।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी रेलवे स्टेशन के पास चिड़ावा जिला झुन्झुनू में मै0 चामुण्डा जोधपुर मिष्ठान भण्डार के नाम से मिठाई की दुकान है जहां वह खाद्य पदार्थ मावा का बेचान करता है। उसकी दुकान से खाद्य पदार्थ मावा का सैम्पल लिया गया था जो कि सबस्टैण्डर्ड फुड (Sub-standard Food) पाया गया है। अनावेदक ने लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह आगे से अच्छे मावा का बेचान करेगा तथा साफ–सफाई का ध्यान रखेगा। अतः उसके विरूद्ध कम से कम जुर्माना किया जाये।

मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 **एल.एस./3653/एक्ट/2023/3732 दिनांक 20.09.2023** के अनुसार खाद्य पदार्थ मावा सबस्टैण्डर्ड फुड (Sub-standard) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 चामुण्डा जोधपुर मिष्ठान भण्डार, नया बस स्टेण्ड झुन्झुनू में खाद्य पदार्थ मावा बेचान करता है

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

तथा स्वयं दुकान मालिक है। अनावेदक की दुकान से सैम्पल लिये जाने के दौरान तथा बाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने के बावजूद भी अन्य फर्म का बिल पेश नही करने के कारण प्रकरण में किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को पक्षकार नही बनाया गया है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ मावा के सबस्टैण्डर्ड फुड (Sub-standard Food) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुये अनावेदक श्री जेठु सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, मैसर्स चामुण्डा जोधपुर मिष्ठान भण्डार, नया बस स्टेण्ड, जिला झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 20,000/- बीस हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू